

06.10.23

आज पत्रावली पेश हुई। वकील

उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र 07R-11/2023
की बस जादी-जादी वाले कोर्ट का
दिनांक 9-10-23 को पेश हो

उपस्थित अधिकारी
महवा जिला दौसा

दिनांक: 09.10.2023

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। रेसपोन्डेंट सं. 2, 3 व 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पेश किया। प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि अपीलान्त व रेसपोन्डेंट दोनों की मीना समाज से ताल्लुक रखते हैं जिन पर हिन्दू विरासत अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ठेकडा का नामान्तरकरण सं. 144 दिनांक 18.01.2007 उसके वारिसान के नाम सही भरा गया है। अपीलान्त द्वारा जो अपील पेश की है वह विधि विरुद्ध पेश की गई है जब अपीलान्त स्वयं जानते हैं कि मीना समाज हिन्दू सक्शेसन एक्ट लागू नहीं होता है ऐसी स्थिति में पिता-की सम्पत्ति में पुत्रियों को हिस्सा उस स्थिति में ही मिल सकता है जब पिता के दाइन्दा दत्तक पुत्र नहीं है। स्व. विशम्भर दयाल के पुत्र कैलाशचंद व रमेश चंद है इस कारण अपील अपीलान्त विधि द्वारा वर्जित है। अपीलान्त ने अपील भी नामान्तरकरण तस्दीक होने के 16 वर्ष बाद पेश की गई है तो मियाद बाहर पेश की गई है। अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

वकील अपीलान्त ने प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया। जबाव में जाहिर किया है कि मीना समाज में ताल्लुक रखने वाली बात स्वीकार नहीं है। क्योंकि मीना जन जाति की प्राचीन रुढिया एवं प्रचलित मान्यताओं में मीना जन जाति की विवाहित

उपस्थित अधिकारी
महवा जिला दौसा

व अविवाहित महिलाओं को पिता की पैतृक सम्पत्ति में विरासत के अधिकारों में जब तक कि महिला स्वेच्छा या पिता की पैतृक सम्पत्ति में हक त्याग न कर दे पुरुष सदस्यों के बराबर माना गया है एवं मीना जन जाति की महिला चाहे विवाहित हो या अविवाहित पैतृक सम्पत्ति में समान उत्तराधिकारी है इसी रुढ़ी एवं मान्यताओं के अनुसरण में नामान्तरकरण भरा गया है। अतः रेस्पोंडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेन्ट द्वारा नजीर 2021 आरबीजे 394 राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 06.4.2021 रतनवाई बनाम बत्तूलाल पेश की है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 - के प्रावधान मीणा जाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं। मीणा जाति में पुत्रियों को पिता को सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं लेकिन पुत्र नहीं है तो पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार माननीय हाईकोर्ट के आदेश 01.02.2006 गुलाब बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य - Family-Benefits of Act-Whether the provisions of Hindu Succession Act,1956 was applicable to the member of the Scheduled Tribes! Held,widow after remarriage was not having and right over the land belonging to the husband and the married daughter was also not having any right over the ancestral property of the father.

एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश दिनांक 09.12.2022 Kamla Neti (Dead)through L.Rs.Vs. The Special Land Acquisition Officer and Ors. --- Under the circumstances in view of Section 2(2) of Hindu Succession Act and the

Appellant being the member of the Scheduled Tribe and as the female member of the Scheduled Tribe is specifically excluded, the Appellant is not entitled to any right of survivorship under the provisions of Hindu Succession Act. No error has been committed by the High Court. The appeal therefore deserves to be dismissed and is accordingly dismissed. पेश की है। बहस वकील फरीकेन सुनी गई। बहस के दौरान वकील रेस्पोंडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है एवं वकील अपीलान्ट द्वारा जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराया है। हमने वकील फरीकेन की बहस पर गहनता से मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में पुत्रियों द्वारा 2007 में म्यूटेशन का हक चाहा जा रहा है। मीणा जाति में पैतृक आराजी में पुत्रियों का हक विधिक प्रश्न निहित है जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी मीणा जाति की महिलाओं को पैतृक आराजी में अधिकार प्रदान किया जाना भी संभव नहीं है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 - के प्रावधान मीणा जाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं। मीणा जाति में पुत्रियों को पिता को सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं लेकिन पुत्र नहीं है तो पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होते हैं। बहस के दौरान यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट के सगे भाई हैं जो नियमानुसार हक प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील विधि द्वारा वर्जित होना पाया जाता है। इस कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार योग्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। एवं अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ठेकड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन.

आदेश में हम किसी प्रकार विधिक त्रुटि नहीं पाते है इसलिये आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त विवेचन एवं नजीरो की रोशनी में अपील अपीलान्त ग्राम ठेकडा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्त प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा